पत्रांक – 24/19
01/2/19

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

दिनांक – 18.01.2019 को 12:30 बजे अप0 में प्राचार्य कार्यालय में आहुत Academic council की बैठक में इस चिकित्सा महाविद्यालय के उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया तथा निम्न निर्णय लिया गया :–

1. बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में Academic Council की बैठक प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः सभी विभागाध्यक्ष

2. मानव सम्पदा के अन्तर्गत Master Table तैयार करने के उद्येश्य से सभी विभागाध्यक्षो को Form – D सभी वॉछित सूचनाओं सहित भरकर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।

अनुपालनः सभी विभागाध्यक्ष

3. सरकार द्वारा CFMS के कार्यानवित पर जोर दिया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है । यथाशीघ्र CFMS प्रणाली पर कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है, जिसकी जानकारी सभी उपस्थित पदाधिकारियों को दी गई ।

4. सभी पदाधिकारियों को GEM Portal की जानकारी से अवगत कराया गया । GEM Portal के माध्यम से Purchase करने हेतु कार्यालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

5. Daily Wages पर कार्यरत बिजली मिस्त्री, श्री इमतियाज अंसारी के मानदेय वृद्वि पर चर्चा की गई । सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से सरकारी नियमानुसार 6000/– रू0 प्रतिमाह मानदेय करने का सुझाव दिया, जिस पर इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अनुपालनः लेखा शाखा

6. RHTC, Kanti में निर्माणाधीन Intern Hostel, जो एम0सी0आई0 के गाईडलाईन के अनुसार है, के Proper Arrangement की जिम्मेवारी विभागाध्यक्ष, पी0एस0एम0 विभाग को दी गई ।

अनुपालनः विभागाध्यक्ष, पी0एस0एम

7. एक छात्रा प्रिती सेठी, जिनके प्रमाण–पत्र से यह ज्ञात होता है कि वे सत्र 1988–89 की छात्रा रह चुकी है । उनके प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है । संबंधित संचिका की तलाश कर सत्यापन का कार्य सम्पादन करने का निर्देश छात्र शाखा प्रभारी को दिया गया ।

अनुपालनः छात्र शाखा

8. सभी विभागाध्यक्षो को अपने – अपने विभाग में सफाई कार्य पर जोर देने का निर्देश दिया । साथ ही सभी कर्मियों/पारा मेडिकल स्टाफ के कियाकलाप पर समय – समय पर Monitoring करने का निर्देश दिया गया ।

अनुपालनः सभी विभागाध्यक्ष

9. महाविद्यालय में समय – समय पर Visit करने एवं अतिक्रमण पर Monitoring करने एवं उसके नियंत्रण पर निर्देश दिया गया ।

अनुपालनः सुरक्षा गार्ड/सुपरवाईजर

10. VRDL के अधिष्ठापन के मद्वेनजर दिनांक – 14.12.18 को हुए चलन्त साक्षात्कार में Scientist (Medical) के एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नही हुए, जिसके कारण उक्त पद पर नियोजन हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

अनुपालनः विभागाध्यक्ष, माईक्रो0/संबंधित कर्मी

11. कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का Facial Biometric द्वारा Registration एवं उपस्थिति अनिवार्य है । Facial Biometric द्वारा Non-Registered पदाधिकारी/कर्मचारी के किसी भी तरह के आवेदन पर कोई विचार नही किया जाएगा ।

अनुपालनः सभी पदाधिकारी/कर्मचारी

12. उपस्थित सभी पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ कार्यरत पदाधिकारियों के PAR में Performance अंकित करना गोपनीय कार्य है, संबंधित पदाधिकारी के Performance के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा भरा जाएगा ।

अनुपालनः सभी विभागाध्यक्ष

13. सभी पदाधिकारियों को Academic Performance को सुदृढ करने का निदेश दिया गया ।

अनुपालनः सभी विभागाध्यक्ष

14. स्वास्थ्य विभाग द्वारा Master System Portal की तैयारी की जा रही है, जिसमें सभी पदाधिकारी/कर्मचारी/छात्र से संबंधित सूचना एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी अपलोड रहेगी, की जानकारी उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दी गई ।

15. एक संवेदक M/s Prime Computer, Darbhanga द्वारा एक विपत्र अधोहस्ताक्षरी के मेल पर प्रेषित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया फर्जी एवं गलत प्रतीत होता है । बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि उक्त विपत्र का गहन अध्ययन किया जाए एवं फर्जी अथवा गलत होने की स्थिति में संबंधित संवेदक पर Proper Action के अन्तर्गत अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जाए ।

अनुपालनः संबंधित शाखा

19.1.19.

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर